न्यायालय,समाहत्ता,अररया

अधिहरण वाद संख्या-439/2020
अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016
सरकार
बनाम

(1) अमर कुमार, पे0-रविन्द्र महतो, सा0-सरिसबपाहीअंच, वार्ड नं0-11
थाना-पंडौल, जिला-मधुबनी
(कार पंजीयन सं0-BR07Y7102,
ईजन सं0-D13A2958881,
चेसीस सं0-MA3FJEB1S00A37286 का मालिक)
(2) मदन साह, पे0-हीरा साह, सा0-सरिसब पाही, वार्ड नं0-11
थाना-पंडौल, जिला-मधुबनी
(3) जयराम महतो, सा0-सरिशब पाही, वार्ड नं0-11, थाना-पंडौल,
जिला-अररिया ....विपक्षीगण

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
04.01.2021	इस वाद की कार्यवाही अधीक्षक, मद्यनिषेध, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (ज्ञाप सं0-282/उ0, दिनांक-20.03.2020) के आलोक में मद्यनिषेध सदर अंचल कांड संख्या-08/2020, दिनांक-07.03.2020, धारा-30(क)/32(3) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 में जब्त कार पंजीयन सं0-BR07Y7102, ईजन सं0-D13A2958881, चेसीस सं0-MA3FJEB1S00A37286 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। विपक्षियों को जवाब दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गई। विपक्षी सं0-01 की ओर से मद्यनिषेध सदर अंचल कांड संख्या-08/2020, दिनांक-07.03.2020 में जब्त वाहन की विमुक्ति हेतु कारण-पृच्छा दिनांक-31.12.2020 को दाखिल किया गया। विपक्षी सं0-02 एवं 03 की ओर से भी दिनांक-31.12.2020 को कारण-पृच्छा दाखिल किया गया। (2) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया श्री रामानंद मंडल एवं विपक्षियों के विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद प्रसाद को सुना। अधीक्षक, मद्यनिषेध, सदर अंचल अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (ज्ञाप सं0-282/उ0, दिनांक-20.03.2020), विपक्षी सं0-01, 02 एवं 03 का कारण-पृच्छा दिनांक-31.12.2020 तथा संलग्न अन्य कागजातों का अवलोकन किया। (3) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया का मुख्य कथन है कि निरीक्षक मद्यनिषेध, अररिया सदर अंचल दिनांक 06.03.2020 को संध्या 6.00 बजे मद्यनिषेध सिपाही, सैप जवान एवं गृह रक्षा दल के साथ विभागीय वाहन पर सवार होकर उत्पाद कार्यालय, अररिया से गस्ती एवं वाहन जाँच हेतु जहाँनपुर टोल प्लाजा के लिए प्रस्थान किए। वहाँ पहुँचकर वाहन जाँच करना प्रारंभ किये। तलाशी के कम में किशनगंज की ओर से आ रही एक सफेद रंग की कार को रोकने का इशारा किया गया। वाहन चालक गाड़ी का रफ्तार तेज कर भागने का प्रयास करने लगा। उसी कम में वहाँ रखे ड्राम एवं विभागीय गाड़ी से टकरा कर गाड़ी	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)

04.01.2021

छतिग्रस्त होकर रूक गई। गाड़ी सवार तीन व्यक्ति गाड़ी से उतरकर भागने लगे, जिसे जवानों की सहायता से खदेड़कर पकड़ा गया। वहाँ उपस्थित दो स्वतंत्र गवाह-1. रूपेश शर्मा, पे0-स्व0 रूपेश शर्मा, सा0-वार्ड नं0-03, भट्ठा चौक जहानपुर टोल प्लाजा के पास, थाना-जोकीहाट, जिला-अररिया एवं 2. मसउद, पे0-अब्दुल लतीफ, सा0-वार्ड नं0-10, मटीयाही पंचायत अझ्रुआ, थाना-जोकीहाट, जिला-अररिया के समक्ष क्षतिग्रस्त सफेद कार की तलाशी ली गई। तलाशी में कार के पीछे डिक्की से कुलः-120 बोतल ब्लेन्डर्स प्राईड नामक विदेशी शराब प्रत्येक 750 मिली लीटर कुल-90.00 लीटर बरामद किया गया। बरामद शराब एवं चार पहिया वाहन Swift Dezire पंजीयन संख्या-BR07Y-7102, चैसीस सं0-MA3FJEB1S00A37286, ईंजन संख्या-D13A2958881 को निरीक्षक, मद्यनिषेध, अररिया द्वारा विधिवत् जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया। निरीक्षक, मद्यनिषेध, सदर अंचल द्वारा विपक्षियों के विरूद्ध मद्यनिषेध सदर अंचल कांड संख्या-08/2020, दिनांक-07.03.2020, धारा-30(क)/32(3) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद(संशोधन) अधिनियम, 2018 दर्ज किया गया। विपक्षीगण द्वारा जब्त चार चक्का (कार) वाहन का उपयोग भारी मात्रा में अवैध शराब को ढ़ोने में किया गया है। विपक्षियों का कारण-पृच्छा जवाब गलत एवं मनगढ़ंत है। उनकी प्रार्थना है कि जब्त कार को राजसात किया जाय।

(4) विपक्षी सं0-01, 02 एवं 03 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का मुख्य कथन है कि विपक्षी सं0-01 जब्त वाहन का वास्तविक मालिक है। वाहन से संबंधित आवश्यक कागजात विपक्षी सं0-01 के पास उपलब्ध है। विपक्षी ने उपस्थित होकर कारण पृच्छा दाखिल किया है। जब्त कथित शराब से विपक्षी को कोई संबंध सरोकार नहीं है। विपक्षी के पास से कोई अवैध सामान बरामद नहीं हुआ है। जब्त कार सदर अंचल थाना परिसर में खुले आसमान के नीचे खड़ी है। कार खराब हो रही है। विपक्षी निर्दोष है। वास्तविकता यह है कि दिनांक-06.03.2020 को किशनगंज की ओर अररिया की तरफ विपक्षी की गाड़ी आ रही थी। पुलिस बल के द्वारा संध्या समय लगभग छः बजे रोकने की कोशिश किया गया। गाड़ी का ब्रेक खराब रहने के कारण गाड़ी कुछ आगे बढ़ गई। उपस्थित पुलिस पदाधिकारी नाराज होकर गाली-गलौज करने लगे। विपक्षीगण द्वारा आपत्ति करने पर झूठा मामला मुकदमा में फंसाने का धमकी दिये और किसी अन्य गाड़ी से बरामद शराब की बरामदगी विपक्षी के गाड़ी से होने की बात करके प्राथमिकी दर्ज कर दिया गया। विपक्षियों को झूठा फंसाया गया है। विपक्षी की गाड़ी मुक्त होने लायक है। विपक्षी पर्याप्त जमानत दाखिल करने को तैयार है। उनकी प्रार्थना है कि कारण-पृच्छा को स्वीकार करते हुए जब्त कार को विमुक्त करने का आदेश दिया जाय।

(5) उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के कथनों एवं तर्कों पर सम्यक् विचार तथा अधीक्षक, मद्यनिषेध, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (ज्ञाप सं0-282/उ0, दिनांक-20.03.2020), कारण-पृच्छा दिनांक-31.12.2020 एवं संलग्न अन्य कागजातों के अवलोकन से इस न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि मद्यनिषेध सदर अंचल थाना कांड संख्या-08/2020, दिनांक-07.03.2020, धारा-30(क)/32(3) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 में बरामद विदेशी शराब एवं कार को निरीक्षक, मद्यनिषेध, सदर अंचल थाना द्वारा विधिवत् जब्त किया

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
04.01.2021	गया है। जब्त कार का उपयोग कुल-90.00 (नब्बे) लीटर विदेशी शराब को व्यावसायिक उद्देश्य से ढ़ोने में किया गया है। जब्त कार को विमुक्त किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। विपक्षी सं0-01,02 एवं 03 का कारण-पृच्छा दिनांक-31.12.2020 मनगढ़ंत एवं गलत है तथा अस्वीकृत होने योग्य है। बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-56(ख) के अंतर्गत जब्त कार राजसात होने योग्य है। तदनुसार विपक्षियों के कारण-पृच्छा दिनांक-31.12.2020 को **अस्वीकृत** किया जाता है तथा मद्यनिषेध सदर अंचल थाना कांड संख्या-08/2020, दिनांक-07.03.2020, धारा-30(क)/32(3) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 में **जब्त कार पंजीयन सं0-BR07Y7102, ईंजन सं0-D13A2958881, चेसीस सं0-MA3FJEB1S00A37286 को** बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58(2) के अंतर्गत **राजसात(Confiscate)** किया जाता है। अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया को प्रेषित करें। विपक्षी (वाहन मालिक) यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरूद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-92(2) के अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में पारित आदेश के 90 दिनों के भीतर अपील दाखिल कर सकते हैं। उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित 04/01 04/01 समाहर्त्ता, अररिया समाहर्त्ता, अररिया ज्ञापांक 86 /विधि, अररिया, दिनांक 11.01.2021 प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। 11/01 समाहर्त्ता, अररिया	